रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 1968/पौष 2, 1890
No. 480] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 1968/PAUSA 2, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1968

S.O. 4543.—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Madhya Pradesh Stock Exchange, Indore (hereinafter referred to as the Exchange), and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a further period of five years commencing on the 24th December, 1968, and ending with the 23rd December, 1973, in respect of contracts in securities subject to the condition stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter:

Condition

Dealings shall not be permitted on the Exchange except for spot delivery and for delivery and payment within a period not exceeding 14 days following the date of the contract.

[No. F. 1/9/SE/68.]

S. S. SHIRALKAR, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1968

एस० ओ० 4544.—मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेंज, इन्दौर ने प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956, (1956 का बयालीसवां अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता की अवधि को नये सिरे से बढ़ाये जाने के लिए जो आवेदन पत्र दिया था, केन्द्रीय सरकार, उस पर विचार कर लेने और इस बात से सन्तुष्ट हो जाने के बाद कि मान्यता की अवधि को नये सिरे से बढ़ाना व्यापारिक और सार्वजनिक हित में है, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसरण में इस अधिसूचना के द्वारा इसी अधिसूचना में नीचे दी गयी शर्त और ऐसी शर्तों के अन्तर्गत जो इसके बाद निर्धारित की जाय या रखी जायं, उपर्युक्त स्टाक एक्सचेंज को प्रतिभूतियों के लेनदेनों के सम्बन्ध में 24 दिसम्बर, 1968 से शुरू होकर 23 दिसम्बर 1973 को समाप्त होने वाली पांच साल की और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

शर्त

उपर्युक्त एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की हाजिर सिपुर्दगी और करार की तारीख के बाद ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर प्रतिभूतियों की सिपुर्दगी और उनकी कीमत की अदायगी को छोड़कर दूसरे सौदों की इजाजत न होगी।

(संख्या एफ० 1/9/एस०ई/68)

श्री० श्री० शिरालकर,
अतिरिक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968